(घ) क्या सरकार ने उन शिकायतों के बारे में कोई जांच कराई है ; और

(ङ) रेलवे में खान पान के स्तर को उठाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रह हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं ।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार भी भोजन का अपेक्षित स्तर बनाये रखते हैं, गाड़ियों में खान पान सेवाओं की आवधिक निरीक्षणों, आकस्मिक जांचों और मानीटरिंग के जरिए हर-संभव प्रयास किया जाता है ।

(ग) और (घ). 1981–82 के दौरान, तीन शिकायतें, दो जनता से और एक संसद सदस्य से प्राप्त हुई हैं जिनमें तिनसुकिया मेल में भोजन यान के ठेकेदार के काम के संबंध में शिकायत की गयी थी । ये शिकायतें खानपान कर्मचारियों के दुर्व्यवहार, क्राकरी और चम्मच, छुरी और कांटों की गंदी हालत और भोजन की घटिया किस्म के बारे में थी । इन सभी शिकायतों की जांच की गयी थी और पहले दो मामलों में ठेकेदारी की चेतावनी दी गयी थी जबकि अंतिम मामले में उन्हें 50 रुपये का जुर्माना किया गया और दोषी बेयरे को सेवा से हटा दिया गया । 1982–83 के दौरान जून, 82 तक अधिक कीमत वसूलने, कैश मीमो न देने और घटिया किस्म का खाना देने के संबंध में संसद सदस्यों द्वारा दो शिकायतें प्राप्त हुई थी । इन दोनों शिकायतों की जांच की गयी है और प्रत्येक मामले में 250/– रुपये का जुर्माना किया गया है ।

अब क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा तिनसुखिया मेल के ठेकेदार के काम पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है ।

(ङ) खानपान के स्तर में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल बढ़िया किस्म का सामान उपयोग में लाया जाता है तथा स्वास्थ्यपद स्थितियों में पौष्टिक भोजन तैयार किया जाता है, वाणिज्य और चिकित्सा विभागों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से आधार रसोईघर सहित खानपान स्थापनाओं का निरीक्षण/आकस्मिक जांच तथा गाड़ियों में खानपान सेवाओं की मानीटरिंग को और गहन कर दिया गया है । शिकायतों और अनियमितताओं पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

वर्ष 1981 में बदलाघाट में हुई रेल दुर्घटना के शिकार परिवारों को मुआवजा

3342. श्री राम विलास पासवान :
श्रीमती कृष्णा साही :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 में बदलाघाट में हुई गंभीर रेल दुर्घटना में लोगों के परिवारों को अभी तक मुआवजा नही दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में किसी दावा-आयुक्त की नियुक्ति भी नहीं की गई है ;

(ग) क्या जो रेल डिब्बा पानी में डूब गया था उसे भी अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है; और

(घ) सरकार द्वारा उन त्रस्त परिवारों को मुआवजा कब तक अदा कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, फिर भी, 1,69,250/- रुपये की राशि का भुगतान मृतकों के

वारिसों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राहत के रूप में किया गया है ।

(ख) एक तदर्थ दावा आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना 17-7-82 को जारी की गयी है ।

(ग) 5 सवारी डिब्बों को, रेलवे, नौसेना और सेना के प्रयासों के बावजूद भी बाहर नहीं निकाला जा सका क्योंकि ये नदी में बहुत गहरे डूब गये थे ।

(घ) चूंकि दावे के मामलों के निर्धारण की प्रक्रिया में पूर्ण रुपेण अदायती कार्रवाई शामिल होती हैं अतः यह कहना कठिन होगा कि दावों के भुगतान में कितना समय लगेगा ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रामकृष्णा मिशन विद्यालय को मान्यता दिया जाना

3343. **श्रीमती कृष्णा साहीः** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बिहार में देवघर स्थित रामकृष्णा मिशन विद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त स्कूल के अध्यापकों के लिए कुछ सेवा शर्तें निर्धारित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त स्कूल के अध्यापकों का वही वेतनमान या अन्य सुविधाएं दी जाती हैं जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को उपलब्ध की गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) जी, हां, । रामकृष्णा मिशन विद्यापीठ, देवघर (बिहार) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के॰मा॰शि॰बो॰) से सम्बद्ध है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) स्कूलों को सम्बद्ध करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक शर्त यह है कि स्कूल में कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें होनी चाहिएं तथा कम से कम उस राज्य में मिल रहे वेतन के बराबर, जहां स्कूल स्थित है, भत्ता सहित वेतम दिया जाना चाहिएं । तथापि, बोर्ड की जांच समिति द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि रामकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर अपने अध्यापकों को राज्य सरकार के अध्यापकों के बराबर वेतन तथा भत्ते नहीं दे रहे है अध्यापकों की सेवा शर्तों में भी सुधार की आवश्यकता है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल से इस बारे में निर्धारित शर्तों का अनुसरण करने की हिदायत दी है ।

Introduction of more Rajdhani Express Trains on Inter-State Routes

3344. SHRI M. RAM GOPAL REDDY:

SHRI S. B. SIDNAL:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under its consideration to introduce some more Rajdhani Express trains on inter-State routes in the near future; and

(b) if so what are the details in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). There is no pro-